

1.10(A)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि को वन विभाग के नाम हस्तान्तरण व नामान्तरण एवं रजर्व वनभूमि घोषित करने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का अनुबन्ध

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत हरसीला से सीमा तक 5.00 किमी० मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जिला योजना के अन्तर्गत हरसीला से सीमा तक 5.00 किमी० मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित 2.519 है० भूमि के बदले दुगुने में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 5.038 है० भूमि ग्राम बिजोरियाझाल की सिविल बेनाप खाता सं० 9(3)उ० बजार काबिल आबाद भूमि जो राज्य सरकार की भूमि है। ग्राम बिजोरियाझाल की सिविल बेनाप भूमि को क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण व नामान्तरण की कार्यवाही वनभूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त कर दी जायेगी।


सहायक अभियंता
निर्माण खंड, लो.नि.वि.
कपकोट


जिला अधिकारी
कपकोट


जिला अधिकारी
कपकोट


अधिशायी अभियंता
निर्माण खंड, लो.नि.वि.
कपकोट